

244

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

अपील कमाक / 2016 जवलपुर दृष्टित 3600 I-K

सुकमनवाई मरावी पति स्व. श्री अशोक कुमार
मरावी निवासी ग्रम घाटपिपरिया थाना बरगी
तहसील व जिला जवलपुर म0प्र0 ।

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला जवलपुर
- मगन यादव पिता स्व. श्री गिरन सिंह यादव निवासी
नवनिवेश कालोनी, गंगानगर तहसील व जिला
जवलपुर म.प्र.।

.....उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 44 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 पारित अधीनस्थ न्यायालय
कलेक्टर जवलपुर के प्रकरण क 156/अ-21/2015-2016 मे पारित आदेश दिनांक
26.09.2016 के विरुद्ध।

माननीय महोदय,

सेवा मे अपीलार्थी की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :-

- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एंव विधि के उपचारों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- यहकि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि ग्रम गोसलपुर प0ह0न0 19 रानि.मं.खितौला तहसील सिहोरा जिला जवलपुर स्थिति भूमि खसरा नं. 65/2 रकवा कमश: 0. 400हौ भूमि अनावेदक विक्य किये जाने की अनुमति चाही गई है जो विक्य हेतु प्रर्याप्त रूप से कारण है। इस हेतु प्रत्यर्थी से अनुवंध किया है ऐसी स्थिति मे उसे भूमि विक्य की अनुमति दी जावे ।



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 3640 / 1 / 2016

जिला-जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि- एंव आवेदक के हस्ताक्षर
२०.१०.१६	<p>यह अपील कलेक्टर जवलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 156/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 26-09-2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू- राज्य संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2— प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने कलेक्टर जवलपुर को प्रार्थना पत्र देकर अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम गोसलपुर प.ह.न. 19 रा.नि.म. खितोला तहसील सिहोरा जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 65/2 रकवा 0.400 है। उबड़-खाबड़ होने एवं अन-उपजाउ होने से एवं मेरे निवास स्थान से दूर पड़ती है जिसके कारण भूमि की देखभाल नहीं कर पाती है। जिसके कारण उक्त मोजा गोसलपुर की भूमि को बेचकर अपने निवास सीन के आस-पास भूमि क्य करना चाहती है। कलेक्टर जवलपुर प्रकरण क 156/अ-21/2015-16 पंजीबद्ध किया जाकर अवैध व मनमाने पूर्ण तरीके से आदेश दिनांक 26.9.2016 से प्रकरण को अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया इसी आदेश से परिवेदित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3— अपील मेमो में दर्शाए बिन्दुओं पर अपीलांट के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>4— अपीलांट के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एवं उपलब्ध</p>	

1/10
10/10/2016

अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि अपीलांट ने उसके निजी स्थानित्व की भूमि सर्वे कमाक 65/2 रकवा 0.400 है. के विकाय की अनुमति इस आधार पर मांगी है कि आवेदिका महिला है भूमि पड़ती कम उपजाउ और कृषि हेतु अनुपयुक्त है एंव निवास स्थान से दूर होने के कारण उक्त भूमि की देखभाल नहीं कर पाती है। जिसके कारण उक्त भूमि को बेचकर अपने निवास स्थान के आस-पास भूमि क्य करना चाहती है उसके पास विकाय की जाने वाली भूमि के अंतिरिक्त ग्रम दियाखेडा प.ह.न. 27 रा.नि.म. जवलपुर-2 तहसील व जिला जवलपुर खसरा नंबर 132 रकवा 1.1500 है. भूमि शेष बच रही है। जिसके कारण विकाय की जाने वाली भूमि के विकाय उपरांत वह भूमिहीन नहीं होगा एंव भूमि विकाय से प्राप्त धन से बच रही भूमि को उन्नत बना सकेगा एंव अपने निवास स्थान के आस-पास ही अन्य भूमि उपजाउ क्य कर सकेगी। भूमि विकाय का प्रयोजन भी सद्भावना पर आधारित है जिसके कारण विकाय अनुमति दिये जाने में वैधानिक अडचन नजर नहीं आती है। वैसे भी अपीलांट द्वारा विकाय की जा रही भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है अपीलांट द्वारा संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के कारण भूमि विकाय की अनुमति मांगी गई है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदिका के हिता को ध्यान में रखे वगेर ही मनमाने पूर्ण तरीके से प्रकरण को निरस्त करने में वैधानिक भूल की है जो न्याय संगत नहीं है। प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार भूमि विकाय की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अडचन नहीं है।

(1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० विरुद्ध म०प्र०राज्य तथा एक अन्य 2013 रा०नि०-०८-माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टात है कि –

(1)भू-राजस्व संहिता, 1959 (म०प्र०)-धारा 165(7-ख)तथा 158 (3) का लागू होना –उपबंधो के अंतःस्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये –बिना अनुमति के भूमि का अंतरण–उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया–उपबंधो को भूतलक्षी प्रभाव नहीं

३६४०/१/१६ नम्बर

दिया गया —उपबंध अधिकारी का अंतरण का
अधिकार निहित अधिकार है।

(2)विधि का निर्वचन—का सिद्धात —नवीन उपबंध का अंतःस्थापन
—भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया —ऐसे उपबंधकी भूतलक्षी प्रभावी होने
की उपधारणा नहीं की जा सकती।

(2)दयाली तथा एक अन्य विलङ्घ महिला श्यामबाई 2004रा0नि0183में
व्यवस्था की गई है कि भू-राजस्व संहिता 1959(म0प्र0)—धारा
165(7-ख) सरकारी पटटेदार द्वारा आबंटन के 10 वर्ष पश्चात
भूमिस्वामी अधिकार अंजित किये —भूमि का विक्य कर सकता
है—कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जवलपुर द्वारा
प्रकरण क 156/अ-21/2015-16 अपील मे पारित आदेश दिनांक
26.09.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं अपील
स्वीकार की जाकर अपीलांट को ग्रम गोसलपुर प.ह.नं. 19 रा.नि.मं.
खितोला तहसील सिहोरा जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं
65/2 रकवा 0.400 है0 के विक्य की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन
प्रदान की जाती है:-

1—भूमि का क्य—विक्य के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के
चार माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2—भूमि का क्य —विक्य पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड
लाईन के मान से किया जावेगा।

3—केता द्वारा विक्य प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय
दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की
जायेगी।



सदस्य